समाहरणालय, मुजफ्फरपुर

(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

—: आदेश :—

श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, गायघाट अंचल सम्प्रति सकरा अंचल पर गायघाट अंचल में पदस्थापन काल में वर्ष 2007 के बाढ़ राहत वितरण कार्य में अनियमितता बरतने के कारण परिवादी श्री मनोज कुमार पंडित, पिता श्री चर्तुभुज पंडित, ग्राम लोमा, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 83/09 दिनांक 10.08.09 में दर्ज प्राथमिकी में श्री सिंह को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। आरोपों के विधिवत जांच हेतु प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय जांच संचालन हेतु श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी को कार्यालय पत्रांक 802/भू.सु.मुज. दिनांक 09.06.14 के द्वारा निलंबित करते हुए अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, गायघाट को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिसकी जांच प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) के पत्र संख्या 221/वि. जां. दिनांक 10.09.2014 को समर्पित किया गया है। समर्पित जांच के पश्चात श्री अरूण कुमार सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा कार्यालय पत्र संख्या 2191/भू.सु.मुज. दिनांक 20.10.2014 द्वारा मांग की गई है।

प्रपत्र 'क' में गठित आरोप निम्नवत है :—

1. **आरोप संख्या—1:—** परिवादी श्री मनोज कुमार पंडित, पिता श्री चर्तुभुज पंडित, ग्राम लोमा, थाना गायघाट, प्रखंड गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 148/08 दायर किया गया है जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा निगरानी कांड संख्या 83/09 दिनांक 10.08.2009 के रूप में दर्ज करते हुए जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, गायघाट अंचल के वर्ष 2007 में उनके हल्का कर्मचारी के रूप में पदस्थापन की अवधि में भीषण बाढ़ में लोमा पंचायत के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को एक क्विंटल अनाज और 200.00 (दो सौ) रूपये नगद राहत के रूप में वितरित किया जाना था, परन्तु लोमा ग्राम के लोगों को परेशान करने एवं घोटाला करने की नियत से फर्जी अभिश्रव तैयार कर अनियमितता बरती गयी। इस प्राकृतिक आपदा के कार्य में राहत सामग्री को गलत तरीके से वितरण एवं अनियमितता बरतने के कारण बाढ़ पीड़ितों को सरकारी निदेश के आलोक में सहायता नहीं पहुँचायी गयी।

2. **आरोप संख्या—2:—** निगरानी के अनुसंधान में इस बात की पुष्टि हुई है कि राहत सामग्री का वितरण बिहार सरकार आपदा एवं प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के प्रपत्र संख्या 1388/आ.प्र.

दिनांक 24.07.2014 के निहित प्रावधानों के तहत करना था जिसका अनुपालन राजस्व कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री सिंह, राजस्व कर्मचारी ने बदनियती से नियमों के प्रतिकूल और सरकारी निदेश की अनदेखी की है। और राहत सामग्री का स्थल के बाजय दूरस्थ क्षेत्र से वितरण किया गया। जिससे कई आपदाग्रस्त लोग राहत से अभिवंचित हो गये और अभिलेखों में हेर–फेर आसानी से कर लिया गया। लोमा गांव से खाद्यान्न वितरण स्थल की दूरी अधिक रहने के कारण मनोज कुमार पंडित, पिता श्री चर्तुभुज पंडित की पत्नी पूनम देवी के नाम के खाद्यान्न को श्री लालू पंडित, ग्राम लोमा को वितरित कर दिया गया।

3. **आरोप संख्या–3:–** इस प्रकार श्री सिंह, राजस्व कर्मचारी ने सरकार के निदेशों के प्रतिकूल कार्य करते हुए मनमानी की है, इसलिए यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii), (iii) के प्रतिकूल है।

श्री अरूण कुमार सिंह पर प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप के बचाव में अपना स्पष्टीकरण बिन्दूवार प्रस्तुत किया है, जो निम्नवत है :–

मैं वर्ष 2007 में गायघाट अंचल के हल्का नं.–2 में राजस्व कर्मचारी के रूप में पदस्थापित एवं कार्यरत था। वर्ष 2007 में आई भीषण बाढ़ के कारण लोमा पंचायत, बाढ़ के पानी से पूर्ण रूपेन घिर गया था और बाढ़ के कारण उक्त पंचायत का सम्पर्क सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो चुका था। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री एवं राशि वितरण हेतु अचंल अधिकारी, गायघाट के स्तर से आदेश ज्ञापांक 776 दिनांक 25.10.2007 निर्गत हुआ (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश के द्वारा 140 क्विंटल खाद्यान्न लोमा पंचायत के लिए आवंटित करते हुए संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार एवं स्थानीय मुखिया को आवंटित खाद्यान्न संयुक्त रूप से उठाव कर पूर्व में निर्गत निर्देशों के आलोक में बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण कर अभिश्रव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तरह भिन्न–भिन्न तिथियों द्वारा राहत सामग्री आवंटित की जाती रही और वितरण के पश्चात् अभिश्रव समर्पित करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा। स्पष्ट हो कि बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रति परिवार 200–200 (दो सौ) रूपये वितरण हेतु अंचल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को राशि उपलब्ध करा दी गई और बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित नगद राशि से संबंति अभिश्रव अंचल नजारत में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि निर्देशानुसार संबंधित मुखिया जी द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बची वितरित खाद्यान्न से संबंधित अभिश्रव अंचल कार्यालय गायघाट में जमा किया गया जिसकी पुष्टि अंचल कार्यालय में जमा अभिश्रवों के अवलोकन कर की जा सकती है। इसी तरह बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच वितरित नगद राशि से संबंधित अभिश्रव अंचल नजारत में जमा किया गया जिसकी

पुष्टि अंचल नजारत में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जमा की गई अभिश्रवों के अवलोकन के पश्चात की जा सकती हैं।

यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बाढ़ राहत केन्द्र पर बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान्न एवं नगद राशि का वितरण किया गया हैं। उक्त वितरण संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य की निगरानी में उनके द्वारा किये गये पहचान के आधार पर किया गया। यह सही है कि सुमन देवी पति मनोज पंडित के नाम आवंटित खाद्यान्न मुखिया एवं वार्ड सदस्य द्वारा सुमन देवी के वितरण केन्द्र पर अनुपस्थित रहने के कारण उनके नाम आवंटित खाद्यान्न की प्राप्ति उनके भैंसुर लालु पंडित द्वारा किया गया। बाद में लालू पंडित एवं मनोज पंडित के बीच किसी अन्य बातों को लेकर उत्पन्न विवाद के फलस्वरूप यह आरोप आपसी विवादों के कारण लगाया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुमन देवी पति मनोज पंडित के नाम आवंटित राशि सुमन देवी की अनुपस्थिति में मैने उक्त राशि लालू पंडित को हस्तगत नहीं कराया। जबकि वार्ड सदस्य के पहचान पर सुमन देवी के नाम आवंटित खाद्यान्न संबंधित मुखिया जी द्वारा लालू पंडित को दिया गया। मैंने सुमन देवी से उनके घर पर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण नगद राशि का भुगतान नहीं हो सका फलस्वरूप आवंटित शेष राशि मेरे द्वारा अंचल नजारत में जमा कर प्राप्ति रसीद ले ली गई (छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि संबंधित वार्ड सदस्य एवं मुखिया जी द्वारा सुमन देवी के नाम आवंटित खाद्यान्न उनके भैंसुर लालू पंडित को प्राप्त कराते हुए संबंधित अभिश्रव अंचल कार्यालय गायघाट में जमा किया गया है। स्पष्ट है कि खाद्यान्न वितरण में किसी तरह के अनियमितता के लिये बहुत हद तक संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य तथा कुछ हद तक संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जिम्मेवार है। उसमें अधोहस्ताक्षरी को कहीं कोई भूमिका नहीं थी। अधोहस्ताक्षरी की भूमिका बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच नगद राशि वितरण को लेकर थी किन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कर्तव्य में किसी तरह की कोई लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं बरती गई है और न ही आरोप पत्र में अधोहस्ताक्षरी पर किसी के द्वारा कोई आरोप ही लगाया गया है। जहाँ तक फर्जी अभिश्रव तैयार कर अनियमितता बरतने का प्रश्न है, इस संबंध में नगद राशि वितरण संबंधी मेरे द्वारा अंचल कार्यालय में जमा की गई अभिश्रवों का अवलोकन किया जा सकता है। मैने राहत सामग्री वितरण संबंधी निर्गत निर्देशों के आलोक में ही नगद राशि का बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण कर अभिश्रव समर्पित किया है, जिसे अंचल कार्यालय, गायघाट में देखा जा सकता है।

जहां तक राहत सामग्री का स्थल के बजाय दुरस्त क्षेत्र से वितरण किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में कहना है कि दिनांक 19.09.2007 को श्रीमती विमल देवी, प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति गायघाट की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई थी। उस

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया था कि रास्ता अवरूद्ध होने के कारण गौस नगर में तत्काल खाद्यान्न रखकर वितरण की जाएगी। लोमा पंचायत का रास्ता चालू होने पर लोमा ग्राम में वितरण की जाएगी (बैठक के कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न) उक्त से स्पष्ट है कि राहत सामग्री वितरण स्थल के चयन में अधोहस्ताक्षरी की कोई भूमिका नहीं थी।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सरकारी निर्देशों के आलोक में किया गया है। बाढ़ पीड़ितों के बीच नगद राशि भुगतान हेतु राशि अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया था और उसके वितरण में न तो कोई अनियमितता बरती गई है और न ही किसी के द्वारा आज तक कोई आरोप ही लगाया गया है।

जहां तक खाद्यान्न वितरण में पाई गई अनियमितता का प्रश्न है, उसके लिये संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जवाबदेह है, चुंकि खाद्यान्न का उठाव मुखिया जी एवं जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को संयुक्त रूप से करके वितरण के पश्चात् संबंधित अभिश्रव अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझ अल्प वेतन भोगी कर्मी को आरोपों से मुक्त करने की महती कृपा की जाये।

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा विभागीय पत्र निम्नवत है :–

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2007 में गायघाट अंचल में आई भीषण बाढ़ के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्य हेतु तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट द्वारा आवश्यक तैयारियां की गयी थी। कार्यालय में उपलब्ध संचिकाओं एवं पंजियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न का उठाव कर प्रभावित परिवारों के बीच वितरण हेतु समय पर आदेश निर्गत किये गये थे। उन आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता हैकि खाद्यान्न का उठाव तत्कालीन मुखिया एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता को आवंटित खाद्यान्न का उठाव संयुक्त रूप से करके लोमा पंचायत के प्रभावित परिवारों के बीच वितरण करते हुए अभिश्रव की मांग की गयी थी एवं अभिश्रव अंचल कार्यालय को जमा करने को निदेशित किया गया था (आदेश की छायाप्रति संलग्न)

इसी तरह लोमा पंचायत के बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच वितरित की जाने वाली सहायय राशि का आवंटन करते हुए श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को आवंटित राशि उठाव कर नियमानुसार प्रभावित परिवारो के बीच वितरण करते हुए संबधित अभिश्रव अंचल कार्यालय गायघाट में जमा करने हेतु निदेशित किया गया था (आदेश की प्रति संलग्न) वितरित खाद्यान्न का अभिश्रव संबंधित मुखिया एवं वितरित नगद राशि का अभिश्रव राजस्व कर्मचारी श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा अंचल नजारत, गायघाट में जमा किया गया है (प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न)।

कार्यालय में संधारित संचिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्यान्न की उठाव हेतु एक ओर संबंधित मुखिया एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता को संयुक्त रूप से उठाव कर बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच खाद्यान्न वितरण कर अभिश्रव समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था, वही दूसरी ओर बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच नगद राशि उपलब्ध कराने हेतु अंचल नजारत से नगद राशि प्राप्त कर संबंधित अभिश्रव जमा करने हेतु श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को निदेशित किया गया था (आदेश की प्रति संलग्न)।

यह भी स्पष्ट हो वर्ष 2007 से गायघाट अंचल में आई भीषण बाढ़ के कारण लोमा पंचायत का आवागमन अवरूद्ध हो गया था, जिस कारण लोमा पंचायत के बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच खाद्यान्न वितरण हेतु वितरित स्थल प्राथमिक विद्यालय, गौस नगर पर पंचायत एवं प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक कर निर्धारित किया गया था (पंचायत अनुश्रवण समिति एवं प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न)।

अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन :–

1. श्री अरूण कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, गायघाट के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 0922014 में दोनों पक्षों को सुना गया।

2. समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 802/भू.सु. दिनांक 09.06.14 के द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, गायघाट अंचल मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी गायघाट मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. श्री अरूण कुमार सिंह के विरूद्ध समर्पित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में कंडिकावार निम्न आरोप लगाए गए है :–

(i) परिवादी श्री मनोज कुमार पंडित, पिता श्री चतुर्भुज पंडित, ग्राम लोमा, थाना गायघाट, प्रखंड गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 148/08 दायर किया गया है जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा निगरानी कांड संख्या 83/09 दिनांक 10.08.2009 के रूप में दर्ज करते हुए जाँच कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल गायघाट के वर्ष 2007 में उनके हल्का कर्मचारी के रूप में पदस्थापन की अवधि में वर्ष 2007 के भीषण बाढ़ में लोमा पंचायत के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को एक क्विंटल अनाज और दो सौ रूपये नगद राहत के रूप में वितरित किया जाना था, परन्तु लोमा ग्राम के लोगों को परेशान करने एवं घोटाला करने की नीयत से फर्जी अभिश्रव तैयार कर अनियमितता बरती गई। इस प्राकृतिक आपदा के कार्य में राहत सामग्री को

गलत तरीके से वितरण एवं अनियमितता बरतने के कारण बाढ़ पीड़ितों को सरकारी निदेश के आलोक में सहायता नही पहुँचायी गई।

(ii) निगरानी के अनुसंधान में इस बात की पुष्टि हुई है कि राहत सामग्री का वितरण बिहार सरकार आपदा एवं प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के प्रपत्र संख्या 1388/आ0प्र0 दिनांक 24.07.04 के निहित प्रावधानों के तहत करना था जिसका अनुपालन राजस्व कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री सिंह, राजस्व कर्मचारी ने बदनियती से नियमों के प्रतिकूल और सरकारी निदेश की अनदेखी की है और राहत सामग्री का स्थल के बजाय दूरस्थ क्षेत्र से वितरण किया गया। जिससे कई आपदाग्रस्त लोग राहत से अभिवंचित हो गए और अभिलेखों में हेर–फेर आसानी से कर लिया गया। लोमा गाँव से खाद्यान्न वितरण स्थल की दूरी अधिक रहने के कारण मनोज कुमार पंडित, पिता चर्तुभुज पंडित की पत्नी श्रीमती पूनम देवी के नाम से खाद्यान्न को श्री लालू पंडित ग्राम लोमा को वितरित कर दिया गया।

(iii) इस प्रकार श्री सिंह, राजस्व कर्मचारी ने सरकार के निदेशों के प्रतिकूल कार्य करते हुए मनमानी की है, इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii), (iii) के प्रतिकूल है।

4. श्री अरूण कुमार सिंह को इस कार्यालय के पत्रांक 93/वि.जा. दिनांक 10.06.14 के द्वारा गठित आरोप प्रपत्र 'क' की छायाप्रति संलग्न करते हुए पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु आदेश दिया गया (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, गायघाट को भी अनुरोध किया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय पक्ष पस्तुत करने हेतु संबंधित साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। इस कार्यालय का पत्रांक 94/वि.जां. दिनांक 10.06.14 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को अनुरोध किया गया कि श्री सिंह के द्वारा दिया गया पूर्व में स्पष्टीकरण अथवा इनके द्वारा बचाव में प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य, आरोप पत्र 'क' में संलग्न साक्ष्यों की सूची के ब्योरे के अनुसार साक्ष्यों की छायाप्रति तथा श्री सिंह के स्थायी पता का विवरण भेजा जाय (छायाप्रति संलग्न)।

5. गठित आरोप प्रपत्र–'क'–के आलोक में श्री सिंह से पूछे गए स्पंष्टीकरण के संदर्भ में दिनांक 21.06.14 को श्री सिंह के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। श्री सिंह ने अपने बचाव में निम्न तथ्य प्रस्तुत किया है –

6. प्रथम आरोप के बचाव में श्री सिंह का कहना है कि वे वर्ष 2007 में गायघाट अंचल के हल्का नं.–2 में राजस्व कर्मचारी के रूप में पदस्थापित थे तथा 2007 में आई भीषण बाढ़ के कारण उक्त पंचातय का सम्पर्क सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित था। बाढ़ पीड़ितों के

बीच राहत सामग्री वितरण हेतु अचंल अधिकारी, गायघाट के आदेश ज्ञापांक 776 दिनांक 25.10.2007 निर्गत हुआ । उक्त आदेश के द्वारा लोमा पंचायत के लिए 140 क्विंटल खाद्यान्न वितरण करने हेतु संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार एवं स्थानीय मुखिया को आवंटित खाद्यान्न संयुक्त रूप से उठाव कर बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण कर अभिश्रव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उनके अनुसार खाद्यान्न का वितरण संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य की निगरानी में उनके द्वारा किए गए पहचान के आधार पर किया गया। अंचल अधिकारी के निदेशानुसार संबंधित मुखिया के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित खाद्यान्न से संबंधित अभिश्रव अंचल कार्यालय गायघाट में जमा किया गया। उनका कहना है कि यह सत्य है सुमन देवी, पति श्री मनोज पंडित के नाम आवंटित खाद्यान्न में मुखिया एवं वार्ड सदस्यों द्वारा वितरण केन्द्र पर सुमन देवी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके नाम आवंटित खाद्यान्न की प्राप्ति उनके भैंसुर लालू पंडित द्वारा किया गया। बाद में लालू पंडित एवं मनोज पंडित के बीच किसी अन्य बात को लेकर उत्पन्न विवाद के फलस्वरूप यह आरोप आपसी विवादों के कारण लगाया गया। ,उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की अनियमितता के लिए बहुत हद तक संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य तथा कुछ हद तक संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जिम्मेवार है। खाद्यान्न के वितरण में श्री सिंह के अनुसार उनकी कही कोई भूमिका नहीं थी। सुनवाई के क्रम में उनका कहना था कि खाद्यान्न वितरण हेतु उन्हें कोई आदेश नहीं दिया गया था। आदेश पत्र में उन्हें कोई प्रतिलिपि भी नहीं दी गई थी। दिनांक 19.08.14 को श्री सिंह उपस्थित होकर अंचल अधिकारी गायघाट के ज्ञापांक 606 दिनांक 27.08.07 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें सभी मुखिया गण, गायघाट को निदेश के आलोक में प्रभावित बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। श्री अरूण कुमार सिंह का कहना है कि उन्हें न तो खाद्यान्न का उठाव करने में या वितरण करने में कोई भूमिका नहीं दी गई थी।

7. श्री सिंह के अनुसार उन्हें उक्त पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को मात्र नगद राशि के भुगतान करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। इस कार्य में उनके द्वारा न ही कोई अनियमितता बरती गई है और न ही लापरवाही। उनके अनुसार आरोप पत्र में भी इस संबंध में उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यहाँ तक फर्जी अभिश्रव तैयार कर अनियमितता बरतने का प्रश्न है, के संबंध में उनके द्वारा नगद राशि वितरण संबंधी अभिश्रव का परीक्षण करने हेतु अनुरोध किया गया है। उनके अनुसार निर्गत निदेशों के आलोक में नगद राशि को बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण कर अभिश्रव अंचल कार्यालय, गायघाट में जमा किया है। उनके अनुसार इन्होंने सुमन देवी के घर पर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण नगद राशि का भुगतान नहीं हो सका फलस्वरूप वितरण करने हेतु प्राप्त राशि में से वितरण के पश्चात् अवशेष राशि उनके द्वारा अंचल

नजारत में जमा कर प्राप्ति रसीद ले ली गई। उन्होंने इस प्रकार अपने आप को प्रथम आरोप से बचाव किया है।

8. प्रथम आरोप के संदर्भ में उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी का कहना है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट के द्वारा वर्ष 2007 में गायघाट अंचल में आए भीषण बाढ़ के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्य हेतु दिए गए आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मुखिया एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता को आवंटित खाद्यान्न का उठाव संयुक्त रूप से करके लोमा पंचायत के प्रभावित परिवारों के बीच वितरण करते हुए अभिश्रव की मांग की गयी थी एवं अभिश्रव अंचल कार्यालय को जमा करने को निदेशित किया गया था। बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान्न वितरण कर खाद्यान्न का अभिश्रव संबंधित मुखिया के द्वारा जमा कराया गया तथा नगद राशि का वितरण राजस्व कर्मचारी अरूण कुमार सिंह के द्वारा कराया गया ताकि उनके द्वारा अभिश्रव भी जमा कराया गया। उपस्थापन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण हेतु खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के लिए मुखिया एवं जन वितरण प्रणाली के विक्रेता संयुक्त रूप से अधिकृत किए गए थे। जिनसे वितरण के पश्चात् अभिश्रव की मांग की गई थी। नगद राशि वितरण हेतु श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी अधिकृत थे। जिन्होंने अंचल नजारत से नगद राशि प्राप्त कर बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण किया था।

9. श्री अरूण कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए विभागीय पक्ष की समीक्षा से स्पष्ट है कि खाद्यान्न वितरण हेतु लोमा पंचायत के मुखिया एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता अधिकृत थे तथा नगद राशि वितरण हेतु श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी अधिकृत थे। जिन्होंने राशि वितरण कर अभिश्रव तथा शेष राशि नजारत में जमा करा दिया किन्तु निगरानी के पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.04.2009 के अनुलग्नक में ग्राम पंचायत लोमा प्रखंड गायघाट में बाढ़ में वितरित किए गए खाद्यान्न सामग्री का अभिश्रव की छायाप्रति (2007) के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिश्रव के अंत में राजस्व कर्मचारी का भी हस्ताक्षर अंकित है। अतः उक्त वितरण में उनकी उपस्थिति एवं सहभागिता थी। ऐसी स्थिति में श्री अरूण कुमार सिंह, खाद्यान्न वितरण में आंशिक रूप से दोषी प्रतीत होते है।

10. द्वितीय आरोप के बचाव में श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी का कहना है कि वर्ष 2007 में आए भीषण बाढ़ के कारण लोमा पंचायत बाढ़ के पानी से पूर्णरूपेण घिर गया था। बाढ़ के कारण लोमा पंचायत का सम्पर्क सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो चुका था। श्री सिंह का कहना है कि दिनांक 19.09.07 को श्रीमती विमल देवी, प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति गायघाट की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई थी तथा उस

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि रास्ता अवरूद्ध होने के कारण गौसनगर में तत्काल खाद्यान्न रखकर वितरण की जाएगी। लोमा पंचायत का रास्ता चालू होने पर लोमा ग्राम में वितरण की जाएगी तथा अपने कथन के समर्थन में बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत सामग्री वितरण स्थल के चयन में अधोहस्ताक्षरी की कोई भूमिका नहीं थी।

11. द्वितीय आरोप के संदर्भ में उपस्थापन पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में इस बात की पुष्टि की वर्ष 2007 में गायघाट अंचल में आयी भीषण बाढ़ के कारण लोमा पंचायत का आवागमन अवरूद्ध हो गया था जिस कारण लोमा पंचायत के बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच खाद्यान्न वितरण करने हेतु वितरण स्थल प्राथमिक विद्यालय गौसनगर पर पंचायत एवं प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक कर निर्धारित किया गया था।

12. द्वितीय आरोप के संदर्भ में श्री सिंह के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए विभागीय पक्ष से विदित होता है कि बाढ़ के कारण लोमा पंचायत का रास्ता अवरूद्ध था तथा राहत सामग्री बांटने की आवश्यकता को देखते हुए उसके निकटस्थ गौस नगर में वितरण स्थल निर्धारित किया गया था। इस वितरण स्थल के चयन में राजस्व कर्मचारी की भूमिका नहीं है। अतः श्री सिंह के विरूद्ध गठित द्वितीय आरोप में श्री सिंह दोषी प्रतीत नहीं होते हैं।

13. उपर्युक्त तथ्यों के समीक्षा से श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध गठित प्रथम आरोप में आंशिक रूप से दोषी प्रतीत होते है।

श्री सिंह का द्वितीय कारण पृच्छा :–

मैं वर्ष 2007 में गायघाट अंचल के हल्का नं.–2 में राजस्व कर्मचारी के रूप में पदस्थापित था। वर्ष 2007 में आई भीषण बाढ़ के अवसर पर लोमा पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के लिए लोमा पंचायत के मुखिया एवं जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को संयुक्त रूप से अधिकृत किए गए थे जिनसे वितरण के पश्चात अभिश्रव की मांग की गई थी। अचंल अधिकारी, गायघाट के स्तर से आदेश ज्ञापांक 606 दिनांक 27.08.07 एवं 776 दिनांक 25.10.2007 निर्गत हुआ (छायाप्रति संलग्न)। अंचल अधिकारी, गायघाट द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में लोमा पंचायत के मुखिया एवं जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न उपलब्ध करायागया।

अंचल अधिकारी के आदेशानुसार बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रति परिवार 200–200 (दो सौ) रूपये वितरण हेतु अंचल द्वारा मुझे राशि उपलब्ध कराई गई थी। स्थानीय मुखिया के उपस्थिति में मेरे द्वारा राहत वितरण स्थल पर वार्ड सदस्यों के पहचान पर राशि का वितरण किया गया।

अपर समाहर्त्ता महोदय (विभागीय जांच) मुजफ्फरपुर द्वारा खाद्यान्न वितरण के अभिश्रव पर मेरे द्वारा किये गये हस्ताक्षर के कारण आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के संबंध में कहना है कि मेरे

द्वारा राहत राशि के वितरण अभिश्रव पर स्थानीय मुखिया को हस्ताक्षर करने के लिए कहने पर उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण के अभिश्रव पर मुझे हस्ताक्षर करने के लिए दबाव दिया गया जिसके कारण मुझे नहीं चाहते हुंए भी खाद्यान्न वितरण के अभिश्रव पर मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद घाटोतरी हस्ताक्षर करना पड़ा जबकि खाद्यान्न वितरण में मेरी कोई भूमिका नही दी गई थी।

अतः उपर्युक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझ अल्प वेतन भोगी कर्मी को दोष मुक्त करने की महती कृपा की जाय।

विचारण :– श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा भी संचालन पदाधिकारी (विभागीय जांच) को प्रस्तुत की गई कारण पृच्छा के ही समरूप है। संचालन पदाधिकारी (विभागीय जांच) को दिये गये द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपी श्री सिंह द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति की है कि मुखिया एवं वार्ड सदस्य के द्वारा दबाव देने के कारण खाद्यान्न वितरण अभिश्रव पर घटोतरी हस्ताक्षर मेरे द्वारा किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इस बिन्दू पर श्री अरूण कुमार सिंह को दोषी पाया गया है।

अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए इनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष :–

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री अरूण कुमार सिंह के द्वारा बाढ़ राहत वितरण जैसी महत्वपूर्ण कार्यों में अनियमितता के दोषी पाये जाने का आरोप प्रमाणित है जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i), (ii), (iii) के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सिंह का यह आचरण कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहते है। इन्हें सेवा में रखना सरकारी शील निष्ठा एवं छवि को धूमिल करना है। इन्हें कठोर दण्ड देना अनिवार्य हो गया है।

अतः मैं धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी–सह–समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (XI) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी (निलंबित) गायघाट अंचल सम्प्रति सकरा अंचल, अनुमण्डल पूर्वी के आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करता हूँ। इन्हें निलंबन अवधि में जीवन यापना भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1.	नाम	:–	अरूण कुमार सिंह
2.	पिता का नाम	:–	स्व. महेश प्रसाद सिंह
3.	पदनाम	:–	राजस्व कर्मचारी
4.	कार्यालय का नाम	:–	अंचल कार्यालय सकरा अंचल, मुख्यालय कुढ़नी अंचल
5.	वेतनमान	:–	9300–34800
6.	ग्रेड पे.	:–	4200
7.	स्थायी पता	:–	ग्राम -मणिका, पो. – मणिका, थाना+अंचल मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1944 /भू.सु.मुज. दिनांक 19 / 9 /2016

प्रतिलिपि :– श्री अरूण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय सकरा, सम्प्रति मुख्यालय कुढ़नी अंचल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, सकरा/कुढ़नी/गायघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री सिंह की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसका तामिला श्री सिंह को कराकर तामिला प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी) मुजफ्फरपुर जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा (सामान्य शाखा) मुजफ्फरपुर को सी.डी. के साथ जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, मुज0/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, मुज0/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुज0/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुज0/सभी अंचल अधिकारी, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच–सह–संचालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।